

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि०सं०-भवन/10-विविध(द०बि०)-68/2021...../ पटना, दिनांक-

:: अधिसूचना ::

पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष, 2014-15 एवं 2015-16 में कतिपय अनियमितता के संबंध में तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग द्वारा जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग में वर्ष, 2016 में पदस्थापित अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, लेखा पदाधिकारी एवं लेखापाल को दोषी माना गया।

2. उक्त जाँच के आलोक में विभागीय पत्रांक-5366(भ०) दिनांक-13.09.2021 द्वारा श्री परमेश्वर सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग सम्प्रति मुख्य अभियंता (गुणवत्ता अनुश्रवण) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

3. श्री सिंह के पत्रांक-636(अनु०) दिनांक-25.10.2021 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय तकनीकी समिति का मंतव्य प्राप्त किया गया, जो निम्नवत है :-

“कार्यपालक अभियंता द्वारा रोस्टर वित्तीय वर्ष के अंत में दिनांक-28.03.2016 को हस्ताक्षरित है तथा दिनांक-29.03.2016 को अधीक्षण अभियंता द्वारा इसका अनुमोदन किया गया है, जबकि अधीक्षण अभियंता द्वारा रोस्टर अनुमोदन के पूर्व में ही सभी जाँचित कार्य आवंटित कर दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि बिना रोस्टर अनुमोदन के कार्य आवंटित किया गया है। इसके लिए समिति द्वारा कार्यपालक अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता को प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए जिम्मेवार पाया गया है।”

4. तकनीकी समिति द्वारा दिये गये उक्त मंतव्य के आलोक में श्री परमेश्वर सिंह से विभागीय पत्रांक-563(भ०) दिनांक-16.01.2024 द्वारा पुनः स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

5. श्री सिंह के पत्रांक-152(अनु०) दिनांक-31.01.2024 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण समीक्षोपरान्त संतोषप्रद नहीं पाया गया।

6. अतः श्री परमेश्वर सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग सम्प्रति मुख्य अभियंता (गुणवत्ता अनुश्रवण) द्वारा पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उस पर विभागीय तकनीकी समिति का मंतव्य के सम्यक् समीक्षोपरान्त इनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (1) के तहत निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

i. “निन्दन” (आरोप वर्ष, 2015-16)।

7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(शिव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक-भवन / 10-विविध(द0बि0)-68 / 2021..... / पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन / 10-विविध(द0बि0)-68 / 2021..... / पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग/अवर सचिव, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा-01, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन / 10-विविध(द0बि0)-68 / 2021..... / पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-श्री परमेश्वर सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग सम्प्रति मुख्य अभियंता (गुणवत्ता अनुश्रवण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन / 10-विविध(द0बि0)-68 / 2021..... / पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना/जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन / 10-विविध(द0बि0)-68 / 2021..... / पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।